कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर

क्रमांक S0093/स्था/विज्ञप्त/2022

दिनांक 31-12-2022

// इन–हाउस विज्ञप्ति //

—00—

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमाक एफ 2/53/2017/01/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमाक 1032–44/स्था/राज/2019 भोपाल दिनांक 02.05.2019 एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा जारी अनुसूची क्रमांक 374/स्था/राज/2022 दिनांक 12.04.2022 मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमाक एफ 2–15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 10.10.2022 के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन निम्नलिखित विभागों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। म.प्र. शासन चिकित्स शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमाक एफ 2–45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 27.12.2022 के अनुसार इस चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु स्वशासी संस्था के अधीन सेवारत्/प्रतिनियुक्ति पद पदस्थ होकर कार्यरत् अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन–हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। संस्था स्तर (इन–हाउस) पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है– आवेदन पत्र की पात्रता सिर्फ गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों को ही होगी जो शासन/एमसीआई द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करते हों।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.01.2023 शाम 05:30 बजे तक

प्राध्यापक

स.क्रं.	विषय	पदोन्नति			
		UR	SC	ST	योग
1	एनाटॉमी	01	0	0	01
2	एनेस्थेसिया	01	0	01	02
3	बायोकेमिस्ट्री	01	0	0	01
4	कम्युनिटी मेडिसिन	01	0	0	01
5	इमरजेंसी मेडिसिन	01	0	0	01
6	फोरेंसिक मेडिसिन	01	0	0	01
7	जनरल सर्जरी	0	0	01	01
8	माईक्रोबायोलॉजी	01	0	01	02
9	पीडियाट्रिक्स	01	0	0	01
10	पी.एम.आर.	01	0	0	01
11	रस्पिरेटरी मेडिसिन	01	0	0	01
12	न्यूरोसर्जरी	01	0	01	02
	योग	11	0	04	15

सह प्राध्यापक

स.क्रं.	विषय	पदोन्नति			
		UR	SC	ST	योग
1	एनेस्थेसिया	0	0	01	01
2	डरमेटोलॉजी	01	0	0	01
3	इमरजेंसी मेडिसिन	01	0	0	01
4	जनरल मेडिसिन	0	0	01	01
5	ऑप्थलमोलॉजी	01	0	0	01
6	आटो रिहनो लरंगयोलॉजी	01	0	0	01
7	पैथोलॉजी	02	0	01	03
8	फार्माकोलॉजी	0	0	01	01
9	फिजियोलॉजी	0	0	01	01
10	पी.एम.आर.	01	0	0	01
11	रेडियोथैरेपी (मेडिकल फिजिक्स)	01	0	0	01
12	न्यूरोलॉजी	01	0	0	01
	योग	09	0	05	14

टीपः–दर्शाये गये पदों की संख्या में **कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मी हेतु आरक्षित है।

पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

नोट– आवेदन पत्र एवं विज्ञापन सबंधी विस्तृत जानकारी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना राजपत्रित शाखा से अधिष्ठाता की अनुमति पश्चात् प्राप्त की जा सकती है।

1.	**वेतनमान** –	नियमित नियुक्ति हेतु
	प्राध्यापक	37400–67000 + ग्रेड पे 10000 + डी.ए.(सांतवे वेतनमान में लेबल 14 ए की अनुसार)
	सह. प्राध्यापक	37400–67000 + ग्रेड पे 9000 + डी.ए(सांतवे वेतनमान में लेबल 13 ए की अनुसार)

टीप – समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगें।

2.	**आयु सीमा**	न्यूनतम
	प्राध्यापक	35 वर्ष
	सह. प्राध्यापक	30 वर्ष

टीप– आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना मे ली जावेगी।

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
3. आरक्षित वर्ग के उन्हीं अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं।

3. **अर्हतायें** :–
   1. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा (एन.एम.सी.) द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित आर्हता।
   2. अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश मेडिकल कांउसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
   3. अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य क स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जो एन.एम.सी. के अंतर्गत मान्य हो।

4. **निरर्हतायें** :–
   1. विकृत चित्त वाला होने पर।
   2. दुश्चरित्र होने पर।
   3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्त्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
   4. नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
   5. विवाह सबंधी– जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसके किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

      दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार की जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात आगामी प्रसव 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिय अपात्र नहीं होगा।
   6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जान/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
   7. कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
   8. ऐसे उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरूद्ध दर्ज किसी आपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।
   9. स्वास्थ्य सबंधी – मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए, तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
   10. चयन हेतु साक्षात्कार/लिखित परीक्षा अथवा दोनों प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं।
   11. स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
   12. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
   13. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

शासकीय स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश

क्रमांक 50093 /स्था/विज्ञप्त/2022 दिनांक 31-12-2022

//विज्ञप्ति सूचना//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–53/2017/01/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1032–44/स्था/राज/2019 भोपाल दिनांक 02.05.2019 एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा जारी अनुसूची क्रमांक 374/स्था/राज/2022 दिनांक 12.04.2022 मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2–15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 10.10.2022 के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन निम्नलिखित विभागों में **प्राध्यापक/सह प्राध्यापक** के रिक्त पदों की पूर्ति **पदोन्नति/सीधी** भर्ती द्वारा की जाना है। **म.प्र. शासन चिकित्स शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 2–45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 27.12.2022 के अनुसार इस चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीर्धी भर्ती के पद हेतु स्वशासी संस्था के अधीन सेवारत्/प्रतिनियुक्ति पद पदस्थ होकर कार्यरत् अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन–हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। संस्था स्तर (इन–हाउस) पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है– आवेदन पत्र की पात्रता सिर्फ गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों को ही होगी जो शासन/एमसीआई द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करते हों।** आवेदन पत्र स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में **दिनांक 20.01.2023 सायंकाल 05:30 बजे** तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.grmcgwalior.org पर उपलब्ध है।

आवेदन पत्र, डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर

14. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक स्वशासी गजरा चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बावत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भर होगा एवं इस शर्त के उल्लघंन पर उसे एक वष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

15. मध्यप्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

5. **आवेदन शुल्क :–**

(अनारक्षित/ओ0बी0सी0) – रूपये 2000/–

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) – 1000/–

आवेदक को आवेदन शुल्क ऑनलाइन SBI Collect के माध्यम से जमा कराकर उसकी छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** :–स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में आवेदन पत्र **दिनांक 20.01.2023 सायंकाल 05:30 बजे** तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र, डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.grmcgwalior.org पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वंय कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्ते भी उसमें समाहित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर

<u>आवेदन का प्रारूप</u>
(अंतिम तिथि 20.01.2023)

पद ....विषय..(जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है।)

आवेदक लिफाफे के उपर अपना नाम, पद जिसके लिये आवेदन किया है, एवं विषय अनिवार्य रूप से लिखे।

नोट : सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम – ....
2. पुरूष / महिला – ....
3. पिता / पति का नाम (उप नाम सहित) – ....
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल / संस्थान – ....
5. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत हैं – ....
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित) – ....

   ....

   शहर का नाम – .... फोन नंबर ....

   मोबाइल नंबर – .... ईमेल आईडी ....
7. स्थायी पता – ....

   ....

   शहर का नाम – .... फोन नंबर ....

   मोबाइल नंबर – ....
8. आधार कार्ड नंबर (हो तो) – ....
9. जन्म तिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें) – ....
10. दिनांक 01.01.2023 को आवेदक की आयु – ....दिन..................माह..................वर्ष..................
11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित / अविवाहित ....
12. विवाह का दिनांक– ....
13. विवाह के समय आपकी उम्र ....वर्ष..................माह..................दिन..................

    पति / पत्नि की उम्र ....वर्ष..................माह..................दिन..................
14. आपके बच्चों की संख्या ....
15. यदि बच्चों की संख्या 02 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक ....
16. वर्ग– अनारक्षित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग / ई.डब्ल्यू.एस.– ....
    (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
    नोटः– मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी न होने की स्थिति में वर्ग अनारक्षित लिखें।
17. मेडीकल काउंसिल का पंजीयन क्रंमाक एवं नाम तथा दिनांक – ....

    (अ) एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस ....

    (ब) एम0डी / एम0एस0 / एम0डी0एस0..............................

    (स) एम0सी0एच0 / डी0एम0..............................

18. शैक्षणिक योग्यताएं :– (प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

सं. क्रं.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक / प्रतिशत	प्रया
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/Mch/DM/ DNB/MDS/PhD						
6	S.R.						
7.	Extra Qualfication						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरें)

नोटः प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाणपत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

19. **शैक्षणिक अनुभव** :–

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव	संस्था का नाम
1	प्राध्यापक		
2	सह प्राध्यापक		
3	सहायक प्राध्यापक		

20. **रिसर्च पब्लिकेशन** :–

क्र	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन	पब्लिकेशन की दिनांक	एन.एम.सी. के अनुसार इडेक्सिंग
1	प्राध्यापक			
2	सह प्राध्यापक			
3	सहायक प्राध्यापक			

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची ....

....

....

स्थानः– ....

दिनांकः– ....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

/ / घोषणा पत्र / /

- मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मैं प्रमाणित करता / करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

संलग्न (5)

(26)

// आदेश //

भोपाल, दिनांक–27/12/2022

क्रमांक एफ 2–45/2010/1/55:– राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग के अधीनस्थ संचालित समस्त चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पद पर चयन हेतु प्रोराटा निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में समस्त चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 लागू हैं तथा इन नियमों में दिए गए प्रावधान अंतर्गत सहायक प्राध्यापक का चयन सीधी भर्ती, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों के पदों के लिए चयन पदोन्नति/सीधी भर्ती की प्रकिया अपनाते हुए किया जाता है।

2/– अतः विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 23.07.2010 को अधिक्रमित करते हुए समस्त चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से चिकित्सा शिक्षक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों के स्वीकृत पदों पर भर्ती की प्रकिया अपनाते हुए की जाने वाली नियुक्तियों के लिए प्रोराटा निर्धारित किया जाता है।

संलग्नः– प्रपत्र–अ, ब एवं स।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस.वर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक–27/12/2022

पृ.क्रमांक एफ 2–45/2010/1/55
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. निज सचिव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।

.....2

(27)

5. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. संभागायुक्त, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश।
10. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर,विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

12. आर्डर बुक।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु प्रोरेटा
अधिकतम अंक 100

प्रपत्र–स

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 20 अंक पी.जी.पाठ्यक्रम अंक– 1.पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक 2.प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे। अधिकतम – 20 अंक	कुल 20 अंक शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे अधिकतम– 20 अंक	कुल 20 अंक शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम– 20 अंक	कुल 20 अंक गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का स्कोर – स्वशासी संस्था में विगत 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का ग्रेडिंग का स्कोर क+=04, क=03, ख=02, ग=01, घ=0 (उदाहरण:– क+ मतांकन 03 वर्ष की सेवा X 4 अंक =12 अंक 05 वर्ष की सेवा X 4 अंक =20 अंक) अधिकतम – 20 अंक	कुल 20 अंक *साक्षात्कार अधिकतम – 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (…./100)
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु स्वशासी संस्था के अधीन सेवारत्/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होकर कार्यरत् अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन–हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। स्वशासी संस्था के संबंधित विभाग में अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही ओपन विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
2. *साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञ राज्य के बाहर से मनोनीत होंगे। साक्षात्कार समिति में संबंधित संस्था से कोई विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नहीं होगा।

चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:–

1. संभागीय आयुक्त, संबंधित स्वशासी संस्था।
2. अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
3. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि।
4. संभागायुक्त द्वारा राज्य के बाहर से मनोनीत 02 प्राध्यापक स्तर के विषय विशेषज्ञ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रपत्र–ब

सह प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु प्रोरेटा

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 20 अंक पी.जी.पाठ्यक्रम अंक– 1 पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक 2 प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे। अधिकतम– 20 अंक	कुल 20 अंक शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे अधिकतम – 20 अंक	कुल 20 अंक शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्युनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम – 20 अंक	कुल 20 अंक गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का स्कोर – स्वशासी संस्था में विगत 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त मतांकन का ग्रेडिंग का स्कोर क+=04, क=03, ख=02, ग=01, घ=0 (उदाहरणः– क+ मतांकन 04 वर्ष की सेवा X 4 अंक =16 अंक 05 वर्ष की सेवा X 4 अंक =20 अंक) अधिकतम – 20 अंक	कुल-20 अंक *साक्षात्कार अधिकतम–20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..../100)
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 02 में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती के पद हेतु स्वशासी संस्था के अधीन सेवारत्/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होकर कार्यरत् अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः इन–हाउस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। स्वशासी संस्था के संबंधित विभाग में अर्हताधारी उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही ओपन विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
2. *साक्षात्कार हेतु विषय विशेषज्ञ राज्य के बाहर से मनोनीत होंगे। साक्षात्कार समिति में संबंधित संस्था से कोई विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नहीं होगा।

चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगीः–

1. संभागीय आयुक्त, संबंधित स्वशासी संस्था।
2. अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय।
3. आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि।
4. संभागायुक्त द्वारा राज्य के बाहर से मनोनीत 02 प्राध्यापक स्तर के विषय विशेषज्ञ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग